न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील संख्या :–96/2016/भीलवाड़ा (2016/00091)

1. शंकरलाल पुत्र छोगा, जाति कुमावत, निवासी डांग का खेड़ा (चावण्डिया)तह0 करेड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती शांतिदेवी पत्नी बालूराम, जाति कुमावत, नि0 चावण्डिया, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
2. सुवालाल पुत्र उदा, जाति कुमावत, निवासी चावण्डिया, तह0 करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (मृतक) जरिये वारिसानः–
   2/1– मु0 केली देवी बेवा सुवालाल,
   2/2– हीरालाल पुत्र सुवालाल,
   2/3– केसी बेवा सुवालाल,
   समस्त जाति कुमावत, नि0 ग्राम चावण्डिया, तह0 करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।
3. घीसूलाल पुत्र अमरा, जाति कुमावत, निवासी डांग का खेड़ा (चावण्डिया) डांग का खेड़ा (चावण्डिया), तह0 करेड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, करेड़ा ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, माण्डल, जिला भीलवाड़ा दिनांक 15.6.2016 अंतर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 293/2015 .

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री वैभव कृष्ण पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 2/1 से 2/3.
3. रेस्पो0 संख्या 1 व 3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 30.7.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, माण्डल, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.6.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, माण्डल के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चावण्डिया में अवस्थित आराजी खसरा संख्या 2249/909 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 2330/909 रकबा 1 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि उसकी खरीदशुदा होकर केतागण द्वारा दिये गये कब्जे अनुसार काबिज है किन्तु क्रयशुदा व कब्जेशुदा भूमि की कब्जे अनुसार तरमीम नहीं हो रखी है । सुवालाल रेस्पो0 संख्या 2 का आराजी संख्या 909 में उसकी खातेदारी की आराजी संख्या 910 के पश्चिमी तरफ से सटी हुई भूमि पर कब्जा है । इसी प्रकार आराजी संख्या 910 व सुवालाल की उक्तानुसार वर्णित कब्जेशुदा भूमि के उत्तर में कब्जा चला आ रहा है जिसको उसने काफी लागत व मेहनत कर विकसित किया है । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की उपरोक्त आराजी संख्या 2249/909, 2330/909 व 2331/909 की राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं हो रखी है जिसका नाजायज लाभ उठाकर रेस्पो0 संख्या 2 ने उसके कब्जेशुदा भूमि पर राजस्व नक्शे में मनमकसूद तौर व गलत तरीके से आराजी संख्या 909/1 फिट कर दिया जबकि रेस्पो0 संख्या 2 का नजरी नक्शे में दर्शित आराजी संख्या 909/1 स्थान पर कभी कब्जा नहीं रहा है । इस कारण नक्शे में गलत तौर से अंकित आराजी संख्या 909/1 वाले स्थान पर रेस्पो0 संख्या 1 का कब्जा है जिसे राजस्व नक्शे में तरमीम कराई जाकर राजस्व नक्शे में गलत तौर से फिट किये गये आराजी नंबर 909/1 को आराजी संख्या 910 से सटे पश्चिमी भाग पर फिट किया जाना आवश्यक है । इसी प्रकार रेस्पे0 संख्या 1 की आराजी संख्या 2249/909, 2330/909 तथा रेस्पो0 संख्या 3 की आराजी संख्या 2331/909को रेस्पो0 संख्या 2 की आराजी संख्या 910 व उसके पश्चिम में सटी रेस्पो0 संख्या 2 की कब्जेशुदा आराजी संख्या 909/1 के उत्तर में उनके कब्जे अनुसार फिट किया जाना आवश्यक है । अंत में रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वर्तमान राजस्व नक्शे में अंकित आराजी संख्या 909/1 को उस स्थान से हटाकर आराजी संख्या 910 से सटे पश्चिमी भू–भाग पर फिट किये जाने एवं उनके उत्तर दिशा में रेस्पो0 संख्या 1 की आराजी संख्या 2249/909, 2330/909 एवं रेस्पो0 संख्या 3 की आराजी संख्या 2331/909 को उनके कब्जे अनुसार फिट किये जाने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 15.6.2016 द्वारा रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौके पर कब्जा अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 2 के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/3 की बहस सुनी गई । xx

3- विद्वान वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 ने तीनों प्रार्थना पत्रों में दर्शाये कथनों को नहीं समझा तथा पूर्व में तैयार पर्चा मौका व वर्तमान में तैयार पर्चा मौका में भी भारी विरोधाभास होने से वर्तमान पर्चा मौका के आधार पर निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र जल्दबाजी में बिना प्रार्थी को नोटिस दिये राजस्व लोक अदालत कैम्प चावण्डिया में नियत कर निर्णय पारित किया है जो न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 के पास मौके पर कब्जा अधिक रकबे पर है । आराजी खसरा संख्या 909 में विभिन्न व्यक्तियों को भूमि आवंटन की गई थी । आवंटन के पश्चात् आवंटियों को हल्का पटवारी द्वारा भूमि सुपुर्द की जाकर मूल आवंटन मिसल में नक्शा ट्रेस की प्रति संलग्न की गई है । सुपुर्दगीनामे के अनुसार आवंटी मौके पर काबिज होने पर आवंटित भूमि का जमाबंदी में तो अंकन कर दिया गया किन्तु राजस्व नक्शा ट्रेस में सुपुर्दगीनामे के मुताबिक तरमीम नही की जाकर अशुद्ध अंकन कर दिया गया जिसकी पुष्टि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत पर्चे से भी होती है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अभिकथनों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र में गलत पड़ौस दर्शाये गये है । दक्षिण दिशा में बालू पुत्र राजमल का बाड़ा नहीं होकर 1 बीघा भूमि है जो छोगा पुत्र उदा कुमावत को आवंटन हुई थी जिसका खसरा संख्या 909/1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा है जिसमें से आवंटी ने 1 बीघा भूमि का विक्रय रायमल पुत्र उदा को विक्रय किया है जिसके बढ़ते हुए आराजी संख्या 2330/909 है एवं शेष बची भूमि खसरा नंबर 2208/909 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा वर्तमान में शंकरलाल, भैरूलाल पिता छोगा के नाम पर दर्ज है जो कि छोगा पिता उदा की विरासत से दर्ज हुए है । रेस्पो0 संख्या 1 को आवंटन सन् 1983 में हुआ है इसलिये 50 वर्षो से कब्जा होने का प्रश्न ही नहीं है । आराजी संख्या 909/1 रेस्पो0 संख्या 6 की तरमीम बतायी गई है किन्तु नक्शा ट्रेस संलग्न नहीं है जो नक्शा फौजदारी मामला में लगाया गया है वह फर्जी है । छोगा पुत्र उदा को आराजी संख्या 909/1 के 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि आवंटन हुई थी । आराजी संख्या 909 में से 2 बीघा 14 बिस्वा के आवंटन होने पर मौके पर सुवालाल पुत्र उदा कुमावत की मौजूदगी में ही सुपुर्द की गई थी एंव सुपुर्दगीनामे पर सुवालाल के हस्ताक्षर है । रेस्पो0 संख्या 1 मोहन पिता बख्तावर कुमावत मौके पर आवंटित भूमि पर नहीं बैठा हुआ है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि पटवारी हल्का व गिरदावर ने मौका पर्चा तैयार कर उक्त आराजी को सुपुर्दगीनामे व मौके पर कब्जे अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम कर दी किन्तु गलती से राजस्व नक्शा ट्रेस में हाल जमाबंदी के नंबर दर्ज नहीं कर आवंटन के समय के आराजी नंबर 909/1 दर्ज कर दिये जबकि अपीलांट के आराजी संख्या 2208/909 है जिसके उत्तर दिशा

में आराजी संख्या 2330/909 रकबा 1 बीघा शांतिदेवी कुमावत के नाम पर है एवं दक्षिण दिशा का हिस्सा रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि जिसके आराजी संख्या 2208/909 है जो कि शंकरलाल अपीलांट के नाम पर दर्ज होकर वे काबिज है एवं इसी अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाना चाहिये था किन्तु गिरदावरी व पटवारी हल्का ने त्रुटिवश आवंटन के समय के नंबर नक्शा ट्रेस में अंकित कर दिये । अधी0न्याा0 ने प्रकरण को समझे बिना मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा आराजी संख्या 2208/909 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा को वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में जहां पर सुपुर्दगीनामा दिया गया तथा जहां आवंटी काबिज है उसी जगह वर्तमान राजस्व नक्शा में तरमीम किये जाने एवं आराजी संख्या 909/1 को डिलीट किये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

4- विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/3 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष अधी0न्याया0 द्वारा दिया जा चुका है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।

5- हमनें उभयपक्ष अभिभाषगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 ने प्रकरण को निर्णित करने से पूर्व तहसीलदार, करेड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की है । तहसीलदार, करेड़ा ने मौका रिपोर्ट दिनांक 18.7.2015 में अंकित किया है कि मौके पर काश्तकारों का कब्जा पाया गया जो आवंटन तिथि व बेचान की तिथि से काबिज होकर काश्त कर रहे है । मूल आराजी संख्या 909 गै0मु0 आबादी में शंकर पुत्र अमरा कुमावत, बालू पुत्र रायमल, नंगजी पुत्र बगतावर कौम कुमावत के बाड़े है जो पत्थर कोट व पक्की दीवार से बना रखे है । मौके पर उक्त आराजियात में नजरी नक्शा अनुसार खेतों में जाने के रास्ते व आम रास्ता कायम होकर चालू है । रास्ते होने के कारण सभी काबिज काश्तकारों का रकबा जमाबंदी रिकार्ड के मुकाबले कम है । इस आराजी में सुवालाल पुत्र उदा का कब्जा आवंटियों से पूर्व का है जो नियमन से सुवालाल पुत्र उदा के नाम दर्ज हुआ है । सभी आवंट्ति काश्तकार कब्जा अनुसार मौके पर आवंटन की तिथि से काबिज है ।

6- तहसीलदार, करेड़ा की उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आवंटन के पश्चात् आवंटी मौके पर काबिज हुए जिसका जमाबंदी में तो अंकन कर दिया किन्तु राजस्व नक्शा ट्रेस में सुपुर्दगीनामे के मुताबिक तरमीम नहीं की जाकर अशुद्ध अंकन किया गया था । तहसीलदार ने उक्त रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया था जिसका अधी0न्याया0 ने रिकार्ड एवं मौके का तुलनात्मक परीक्षण उपरांत नजरी नक्शे अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित नहीं कर पाये है कि अधी0न्याया0 के निर्णय में क्या त्रुटि रही है तथा अपीलांट क्या

अनुतोष चाहता है बाबत् अपील मीमों में स्पष्ट नहीं किया है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपील को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है ।

7- अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य एवं अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 96/2016 (2016/00091) बउनवानी शंकरलाल बनाम श्रीमती शांतिदेवी व अन्य को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, माण्डल जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रा0पत्र संख्या 293/2015 बउनवान शांतिदेवी बनाम सुवालाल में पारित निर्णय दिनांक 15.6.2016 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 30.7.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर